भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

फ़ाइल नं:-SECU-11/17/2022-SECURITYSECTION/ 08330 दिनांक:-13-08-2026

Public Notice No. 04 /2026

विषय: **SEEPZ-SEZ** इकाइयों के कर्मचारियों के परिवहन हेतु तैनात बसों/वाहनों में कार्यशील अग्निशामक यंत्रों की अनिवार्य उपलब्धता के संबंध में।

Subject: Mandatory Provision of Functional Fire Extinguishers in Buses/Vehicles Deployed for Transportation of Employees of SEEPZ-SEZ Units.

सीप्ज़-सेज की सभी इकाइयों, मानव संसाधन प्रमुखों (HR Heads) और ठेके पर परिवहन सेवा देने वाले विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि सीप्स-सेज इकाइयों के कर्मचारियों के परिवहन में लगाई गई सभी बसों, मिनी बसों और यात्री वाहनों में हर समय वैध निरीक्षण टैग के साथ चालू और पूर्ण रूप से भरे हुए अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) का होना अनिवार्य है। यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, सभी इकाइयों और परिवहन ठेकेदारों को इस निर्देश का तत्काल और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

इसके अलावा, SEEPZ-SEZ के सभी एंट्री गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को यह निर्देश और अधिकार दिया गया है कि वे परिसर में प्रवेश देने से पहले कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली सभी गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने वाले यंत्र) की मौजूदगी की जांच करें। अगर किसी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पाया जाता है, तो उस गाड़ी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस कमी को पूरी तरह से ठीक न कर लिया जाए।

यह लोक सूचना तत्काल प्रभाव से लागू होती है और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी की

It is hereby informed to all SEEPZ-SEZ Units, HR Heads, and contractual transport service vendors that all buses, minibuses, and passenger vehicles deployed for the transportation of employees of SEEPZ-SEZ Units must be equipped with functional, fully charged Fire Extinguishers carrying valid inspection tags at all times. In the interest of commuter safety and emergency preparedness, all Units and transport contractors are directed to ensure strict, immediate compliance with this requirement.

Further, security personnel deployed at all entry gates of SEEPZ-SEZ are authorized and instructed to verify the installation of Fire Extinguishers in all such employee transport vehicles prior to granting access to the premises, and any vehicle found operating without a Fire Extinguisher equipment shall be denied entry until the deficiency is completely rectified.

This Public Notice comes into force with immediate effect and issues with

जाती है।	the approval of the Competent Authority.

भवदीय,

13/8/26

(वैभव अंकुश उगले)
सहायक विकास आयुक्त
सुरक्षा अनुभाग, सीप्ज़-सेज़

सेवा में,
i. सभी सीप्ज़-सेज़ इकाइयाँ
ii. सीप्ज़-सेज़ में सेवाएं प्रदान करने वाले सभी बस ठेकेदार सेवा विक्रेता

प्रतिलिपि,
संपदा अनुभाग